"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2004—वैशाख 3, शक 1926

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 12 दिसम्बर 2003

[नोटरी अधिनियम, 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन]

क्रमांक 1341/एक-15-3/96.—नोटरी रूल्स 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के अंतर्गत राजनांदगांव में नोटरी नियुक्ति हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन-पत्र पेश किये गये हैं :—

क्र. (1)	नाम अधिवक्ता (2)	पंजीयन क्रमांक (3)
1.	श्री संतोषचंद डागा, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	103/90
2.	श्री सतीष कुमार हैदर, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	805/92

(1)	(2)	(3)
3.	श्री मोहम्मद बशीर सिद्धीकी, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	202/85
4.	श्री सिराज मोहम्मद अशरफी, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	970/96
5.	श्री भरतलाल देवांगन, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	776/91
6.	श्री अनीसुद्दीन अहमद, अधिवक्ता, निवासी राजनांदगांव	196/78

अत: सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त अधिवक्तागण में से नोटरी के राजनांदगांव में एक पद की नियुक्ति किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-3 (1) में सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिनों के अन्दर इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

राजनांदगांव, दिनांक 7 जनवरी 2004

[नोटरी अधिनियम, 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन]

क्रमांक 29/एक-15-3/96.—नोटरी रूल्स 1952 एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 3 के अंतर्गत स्थान खैरागढ़ में नोटरी नियुक्ति हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन-पत्र पेश किये गये हैं :—

क्र. (1)	नाम अधिवक्ता (2)	पंजीयन क्रमांक (3)
1.	श्री अनूप कुमार टहनगुरिया, अधिवक्ता, निवासी खैरागढ़	499/82
2.	श्री सतीश कुमार सिंघानिया अधिवक्ता, निवासी गंडई पंडरिया	1487/91

अत: सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त अधिवक्तागण में से नोटरी के खैरागढ़ में एक पद की नियुक्ति किये जाने पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-3 (1) में सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिनों के अन्दर इस कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

टी. सी. यदु,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय; राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.